**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2071**

**जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।**

**अति विशाल विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली**

**2071. श्री बी.के. हरिप्रसादः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अति विशाल विद्युत परियोजनाओं हेतु बोली मानदंडों से संबंधित मुद्दों में स्पष्टता न होने के कारण तमिलनाडु और ओडिशा की दो अति विशाल विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत कंपनियां भाग नहीं ले रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने अति विशाल विद्युत परियोजनाओं के लिए अभिकल्प निर्माण वित्त परिचालन अंतरण (डीबीएफओटी) मॉडल का पूर्व में ऐसा विकल्प चुना था जिसमें विकास-कर्ताओं को ईंधन की लागत में होने वाली किसी बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं पर डालने की अनुमति तो है लेकिन वे उपस्करों को घरेलू बाजार से ही लेने के लिए बाध्य भी होते हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत उत्पादकों और वित्तीय संस्थानों ने डीबीएफओटी मॉडल को अव्यवहार्य पाया है?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क)** अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं में से पांच बोलीदाताओं ने ओडिशा यूएमपीपी और चेय्यूर यूएमपीपी के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) का क्रय किया है । चेय्यूर यूएमपीपी के मामले में चार बोलीदाता निजी क्षेत्र से हैं और ओडिशा यूएमपीपी के मामले में तीन बोलीदाता निजी क्षेत्र से हैं ।

**(ख)** जी नहीं, पिछली भारत सरकार ने पहले की यूएमपीपी अवार्ड करने के लिए निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन (बीओओ) आधार के विकल्प का चयन किया था । अब, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन एवं हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए मॉडल बोली दस्तावेज अधिसूचित किए हैं । डीबीएफओटी आधार के अंतर्गत, विकासकर्ताओं को ईंधन लागत में किसी वृद्धि को उपभोक्ताओं को पास करने की अनुमति दी गई है । यूएमपीपी के लिए उपस्कर मंगाने के संबंध में, पूर्व के दस्तावेज में इस प्रकार का कोई अनुबंध नहीं था ।

**(ग)** मॉडल बोली दस्तावेज मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) के अनुमोदन से अंतरमंत्रालयी समूह द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी), विकासकर्ताओं, व्यावसायियों, वित्तीय संस्थानों, परामर्शदाताओं, वितरण कंपनियों, राज्यों सहित विद्युत क्षेत्र में विभिन्न पणधारियों के परामर्श से संशोधित किए गए हैं ।

इस मॉडल के संबंध में राज्यों और मंत्रालयों/योजना आयोग के बीच स्पष्ट सर्वसम्मति थी । तथापि, कुछ निजी विकासकर्ताओं, देनदारों और सीईआरसी सहित कुछ पणधारियों ने इस संबंध में कुछ चिंताएं व्यक्त कीं थीं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*